तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2607/2002/जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सुनिल गर्ग उप राजकीय अभिभाषक
श्री पाबूदानसिंह वकील एवं
श्री सुनील कुमार वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः.7.8.2018

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा दिनांक 6.3.2002 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बस्सी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूडथल की एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2019 में खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बिस्वा गैर मु0 चाह माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी श्रीसीतारामजी वहतमाम पुजारी श्री नारायण पुत्र भैारीलाल जाति स्वामी तथा कृषक के कालम में खांगा, छोटू, महादेव, मूल्याु पिता गोपाल व मंगला पुत्र नरसिंह हि.ब. 1/2 झूंथा पुत्रबिरदा हि. 1/4, भौरिया पुत्र मेवा हि. 1/8, बदरी पुत्र नानगा हि.1/8 अंकित है तथा खसरा नरम्बर 234 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वहतमाम पुजारी श्रीनारायण पुत्र भैारीलाल स्वामी खातेदार दर्ज हैं तथा कृषक के कालम में झूंथा पुत्र बिरदा, भौरिया पुत्र मेवा, बदरी पुत्र नानगा जाति मीना दर्ज है। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत 2021 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया एवं खसरा नम्बर 236 की खातेदारी मन्दिर मूर्ति के बजाय खांगा, छोटू, महादेव, मूल्या पिता गोपाल व मंगला पुत्र नरसिवंहा हि0ब. 1/2, झूंथा पुत्र बिरदा हि. 1/4, भौरिया पुत्र मेवा हि. 1/8 बदरी पुत्र नानगा हि. 1/8 एवं खसरा नम्बर 234 भी मन्दिर मूर्ति की बजाय झूंथा पुत्र बिरदा, भोरिया पत्रु मेवा, बदरी पुत्र नानगा के नाम दर्ज कर दिया। छोटया, खांगा व गुज्या, झूंथा व भौरिया के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 46, 110, 108,142 स्वीकृत किये गये एवं वर्तमान में विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2050 से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2607/2002/जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1053 में वर्तमान अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। मन्दिर मूर्ति शावत नाबालिग होती है जिसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। मन्दिर मूर्ति का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के विलोपित किया जाकर विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज की गई है जो विधिविरूद्व है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि पर धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुशंषा दिनांक 6.3.2002 से यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सम्वत 2019 तक मन्दिर मूर्ति श्री सीतारामजी की माफी एवं खातेदारी की भूमि रही है तथा पुजारी नारायण्ण पुत्र भैारीलाल स्वामी रहे हैं। जमाबन्दी सम्वत 2021 बनाते समय बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश के बिना विवादित आराजीयात को मन्दिर मूर्ति की खातेदारी से हटाकर वर्तमान अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्व हैं। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है तथा धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मूर्ति को संरक्षण प्राप्त हैं जिससे मन्दिर मूर्ति की भूमि पर काश्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः जमाबन्दी सम्वत 2021 में विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम किया गया खातेदारी का अंकन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से यह रेफरेन्स स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सदैव से ही अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है। विवादित भूमि का माफीदार मन्दिर मूर्ति श्री सीतारामजी थी एवं काश्तकार अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी। माफीदार/जागीरदार की माफी/जागीर अधिग्रहित होने पर भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। वर्तमान प्रकरण में भी मन्दिर मूर्ति श्रीसीतारामजी की जागीर अधिग्रहित होने पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2607/2002/जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कानूनी प्रावधानों के अनुसार काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। विद्वान अभिभाषकगण ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कभी भी मन्दिर मूर्ति के खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है। जिससे विवादित भूमि का अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम राजस्व अभिलेख में किया गया अंकन विधि अनुरूप होने से यह रेफरेन्स खारिज किया जावे। हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खतौनी एकीकरण सम्वत 2019 में खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बिस्वा भूमि कालम संख्या 3 नाम भोक्ता के कालम में माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी श्रीसीतारामजी बहतमाम पुजारी श्री नारायण पुत्र भौरीलाल जाति स्वामी सा.देह माफी उपरोक्त अंकित है तथा कालम संख्या 5 नाम कृषक के कालम में खांगा, छोटू, महादेव, गुल्या पि0 गोपाल व मंगला पुत्र नरसिंहा हि.ब. 1/2 झूंथा पुत्र बिरदा हि. 1/4 भौरिया पुत्र मेवा हि. 1/8 बदरी पुत्र नानगा हि. 1/8 अ. मीना सा.देह अंकित हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 234 के संबंध में भी कालम संख्या 3 नाम भोक्ता के कालम में माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी श्रीसीतारामजी बहतमाम पुजारी श्री नारायण पुत्र भौरीलाल जाति स्वामी सा.देह अंकित है तथा कालम संख्या 5 नाम कृषक के कालम में झूंथा पुत्र बिरदा हि. 1/2, भौरिया पुत्र मेवा हि. 1/4 बदरी पुत्र नानगा हि. 1/4 जाति मीना सा.देह अंकित है। हमारे समक्ष इस रेफरेन्स में राजस्व मण्डल के स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजात में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2034 में भी दोनों खसरा नम्बरों के संबंध में उपरोक्तानुसार ही अंकन किया हुआ है। राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति श्री सीतारामजी महाराज विवादित भूमि के माफीदार थे तथा खांगा वगैरा काश्तकार दर्ज रहे हैं। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार माफीदार जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं उसके स्थान पर राज्य सरकार आगई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2021 में मन्दिर मूर्ति की जागीर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2607/2002/जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिग्रहित हो जाने से काबिज काश्तकार के खातेदार बन जाने से अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप ही है। राज्य सरकार ने भी वर्ष 2007 एवं 2010 में परिपत्र जारी कर माफीदार/जागीरदार की ऐसी भूमियों पर काबिज काश्तकार को खातेदार दर्ज किया जाना उचित मानते हुए उसे यथावत रखे जाने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों एवं बाद में विरासत के आधार पर वर्तमान अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप होने से हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते हैं एवं यह रेफरेन्स खारिज करना न्यायोचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडूदान देथा)** **सदस्य**	